

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ताराचन्द बनाम मूलीदेवी

अपील संख्या 243 / 2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018 / 170)


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख में  
जारी हुए

01.06.22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित, उन्होंने प्रार्थना पत्र अपील को वापस लेने के क्रम में पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं वापिस लेना चाहता है। अतः निवेदन है कि उक्त अपील को वापिस लेने की इजाजत फरमावें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाह रहे हैं तथा विद्रो करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपील विद्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्त विद्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
(विकास एस.भाले)  
संलग्नीय आदेश  
जयपुर